

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
पत्रांक 516 / 147 दिनांक, मेरठ 12 अगस्त, 2016।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

विषय:- लो0नि0वि0 को अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0-93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 120.000 से 133.660 तक 3.5760 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 61 वृक्षों के पातन, सम्मल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति। **FP/UP/ROAD/7444/2016**

संदर्भ:- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2456/अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन, दिनांक 20.05.2016 एवं पत्रांक 117/11-सी, दिनांक 21.07.2016।
2-आपका पत्रांक 197/14-1 दिनांक 26.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 21.07.2016 के क्रम में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर ने विषयक प्रकरण की आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया है:-

सामान्य/समस्त प्रभागों से संबंधित:-

- 1- प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-8 के मद संख्या बी-24 में कम्पोनेट में त्रुटिपूर्ण विवरण को सही करा दिया गया है।
- 2- Benefit cost analysis संलग्न है।
- 3- पार्ट-2 के क्रम संख्या-3 में Area to be divert के कालम को भरकर सही कर दिया गया है।
- 4- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरें विभागीय नार्मस/सीलिंग के अन्तर्गत रखकर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।
- 5- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर से संबंधित नहीं है।
- 6- क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्ता संलग्न है।
- 7- प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटल शीर्षक एवं लीजेण्ड अंकित करा दिया गया है।
- 8- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटल शीर्षक अंकित कर दिया गया है।
- 9- संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट का मुख्य पृष्ठ सत्यापित का संलग्न है।

बुलन्दशहर वन प्रभाग से संबंधित:-

- 1- पार्ट-2 के क्रम संख्या-5 में Working Plan Prescription का विवरण सही कर दिया गया है।
- 2- पार्ट-2 के क्रम संख्या-6 में अंकित विवरण There is no erosion land का विवरण ठीक कर दिया गया है।
- 3- प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।

- 4- प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना ईको-क्लास के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि की गणना संलग्न है।
- 5- चिन्हित वन स्वरूप भूमि के संबंध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 6- मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त दोनो ओर अवशेष संरक्षित वन भूमि पर रिक्त पडे स्थान पर 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित वनीकरण योजना संलग्न है।

भवदीय


(एस0के0 अवस्था)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

संख्या- 516 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एस0के0 अवस्था)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।